समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1970 /आ0प्र0 दिनांक 26-05-2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2014-15 की अवधि तक सहायक अनुदान मद में दी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया है। प्राप्त पत्र के अनुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र- 42A में तैयार कर संलग्न चेक लिस्ट पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के साथ-साथ जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य है।

अतः प्राप्त निदेश के आलोक में तैयार उपयोगिता प्रमाण एवं व्यय प्रतिवेदन पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर हेतु निम्न प्रकार पदाधिकारियों को प्राधिकृत करने का निर्णय लिये जाते हैं :-

1. समाहरणालय मधेपुरा के सभी शाखाओं से भेजे जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रतिवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु संबंधित शाखाओं के वरीय प्रभारी पदाधिकारी (अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा, अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा) को प्राधिकृत किया जाता है।
2. अनुमंडल स्तर से भेजे जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रतिवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को प्राधिकृत किया जाता है।
3. प्रखंड विकास पदाधिकारी स्तर से भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रतिवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है।
4. अंचल अधिकारी स्तर से भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रतिवेदन पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को प्राधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से प्रभावी माना जाएगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-

जिलाधिकारी

मधेपुरा।

ज्ञापांक 346 /आ0 प्र0 मधेपुरा दिनांक 4.06.15

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज /भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी /सभी प्रधान सहायक समाहरणालय मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/06/2015

जिलाधिकारी

मधेपुरा।